

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़-पिलखुआ, बुलन्दशहर, खुर्जा,
बागपत-खेकड़ा एवं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 05 अक्टूबर, 2023

विषय:- **Directions under Section 12 of CAQM in NCR & AA Act, 2021 - Implementation of Graded Response Action Plan (GRAP) for NCR including NCT of Delhi (Revised in July, 2023) के संबंध में।**

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-2390(1)/आठ-3-23-31/2021 दिनांक 29.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 25.09.2023 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

2- इस संबंध में मुझे ग्रह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही की सूचना प्रत्येक 3 दिन पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्यों के संबंध में श्रेणीवार AQI Alert जारी किये जाने पर GRAP के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
S. W. 2023
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अनु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
- (2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित अभिकरणों से कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त कर समेकित आख्या/कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन (ई-मेल soenvups@rediffmail.com) एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ई-मेल ms@uppcb.in) तथा आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 (ई-मेल awasanubhag3@gmail.com) को समयान्तर्गत अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।